नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 25/11/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अध्यक्षता में दिनांक 25/11/2024 को सुबह 10:30 बजे हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेन्द्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) (पत्र दिनांक 23/09/2008 के अनुसार वाणिज्य विभाग के नामिती)
2. श्री सैबल रॉय, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, नोएडा आयुक्तालय।
3. श्रीमती हेमलता हेदाऊ, सहायक विदेश व्यापार महानिदेशालय, कार्यालय अपर डीजीएफटी, सीएलए, नई दिल्ली।
4. श्री विशम्भर झा, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग नोएडा।
5. श्री मयंक कुमार, सहायक प्रबंधक, डीआईसी, नोएडा (प्रमुख सचिव, उद्योग, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि)।
6. श्री विनय कुमार, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा के प्रतिनिधि।

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) किरण मोहन मोहदिकर, उप विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (ii) रविकेश त्रिपाठी, निर्दिष्ट अधिकारी, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (iii) प्रमोद कुमार, सहायक विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (iv) भारत भूषण, सहायक, परियोजना अनुभाग, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र और (v) राजीव कुमार, जेई, यूपीपीसीएल भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। बताया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:

(1) दिनांक 11/11/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि 11/11/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई संदर्भ था और न ही कोई आपत्ति थी। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इसका संज्ञान लिया और तदनुसार, 11/11/2024 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(2) रेयान इम्पेक्स - नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में एक नई इकाई स्थापित करना।

सुरेंद्र मलिक

2.1 श्री संदीप अग्रवाल, भागीदार अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। अनुमोदन समिति ने पाया कि आवेदक को समान वस्तुओं के विनिर्माण के लिए दिनांक 04/08/2021 को स्वीकृति पत्र (LOA) संख्या 04/01/2020-Proj/6354 प्रदान किया गया था, जिसका क्रियान्वयन नहीं किया गया और उक्त स्वीकृति पत्र (LOA) की अवधि 03/08/2022 को समाप्त हो गई।

2.2 श्री अग्रवाल ने बताया कि वे उक्त स्वीकृति पत्र (LOA) को लागू नहीं कर सके और स्वीकृति पत्र (LOA) समाप्त हो गया क्योंकि उन्हें प्लांट और मशीनरी की अपनी जरूरतों के अनुसार नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में भूतल पर वांछित स्थान नहीं मिल सका। उन्होंने आगे बताया कि तत्काल आवेदन उन्हीं वस्तुओं और निर्यात के लिए है जिन्हें पहले ही मंजूरी मिल चुकी है क्योंकि उन्हें अपनी जरूरतों के अनुसार कुछ जगह मिल गई है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रस्तावित उत्पादों के लिए उनके पास 'प्राइम वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन, यूनाइटेड किंगडम' और 'सीआरएस फाइंडिंग्स इंक. यूएसए' से निर्यात ऑर्डर हैं।

2.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, आवेदक को निर्यात आदेशों की प्रतियों के साथ खरीदारों के पूर्ण विवरण, उनके ईमेल-आईडी और संपर्क नंबर सहित प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ प्रस्ताव को स्थगित कर दिया। आवेदक को फ़ाइल/ कार्यसूची नोट में देखी गई कमियों को सुधारने की भी आवश्यकता होगी।

(3) पीसी ज्वैलर लिमिटेड (इकाई-I) - स्वीकृति पत्र (LOA) का नवीनीकरण और प्रदर्शन की निगरानी।

3.1 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री राजा राम सुगला अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई का स्वीकृति पत्र (LOA) 31/03/2023 को समाप्त हो गया था। इसके अलावा, इकाई पिछले ब्लॉक यानी 2017-18 (20.11.2017-31.03.2018) से 2021-22 तक कार्यात्मक नहीं थी और उक्त ब्लॉक के दौरान 2020-21 में केवल 215.96 लाख रुपये का निर्यात किया।

3.2 श्री सुगला ने बताया कि कंपनी के खराब प्रदर्शन का मुख्य कारण बैंकर द्वारा ऋण सुविधा से इनकार करना था। कंपनी विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से बैंकों द्वारा जारी किए गए ऋण पत्र के आधार पर कच्चा माल खरीदती थी, लेकिन बैंकों ने ऋण पत्र से इनकार कर दिया और इसके बजाय डीआरटी और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) से संपर्क किया। मार्च 2020 में, कोविड-19 महामारी फैल गई और वैश्विक निर्यात संचालन बाधित हो गया। इसलिए उनके निर्यात भी प्रभावित हुए। उन्होंने आगे कहा कि ये सभी मामले अब पूरी तरह से हल हो गए हैं क्योंकि एसबीआई ने मामला वापस ले लिया है और उन्होंने अन्य बैंकों के साथ एकमुश्त निपटान (ओटीएस) के माध्यम से भी निपटारा कर लिया है। इस प्रकार वे परिचालन फिर से शुरू करने की स्थिति में हैं।

3.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद इकाई को निम्नलिखित प्रस्तुत करने का निर्देश दिया:

(i) उत्पाद विवरण और खरीदारों के पूर्ण विवरण के साथ निर्यात आदेशों की प्रति।

सुरेंद्र मलिक

(ii) एसबीआई द्वारा मामले को वापस लेने की प्रति।

(iii) अन्य बैंकों के साथ एकमुश्त निपटान की प्रति।

3.4 अनुमोदन समिति ने विकासक, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) के कार्यालय को उत्तर की जांच करने और फाइल पर अंतिम निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाया।

(4) रॉयल एक्सपोर्ट्स – स्वीकृति पत्र (LOA) का नवीनीकरण और प्रदर्शन की निगरानी।

4.1 इकाई के प्रतिनिधि श्री बृजपाल सिंह अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उन्होंने निर्यात परिचालन पुनः शुरू कर दिया है। उन्होंने आगे बताया कि अनुमोदन समिति ने 16/07/2024 को आयोजित अपनी बैठक में खरीद से संबंधित लेन-देन को नियमित कर दिया था और उन्हें जांच और मूल्यांकन के बाद अपने अधिकृत संचालन के अनुसार हीरे का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, वे अभी भी हीरे के स्टॉक की निकासी के लिए नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) सीमा शुल्क का इंतजार कर रहे हैं।

4.2 नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) के निर्दिष्ट अधिकारी ने बताया कि अनुमोदन समिति ने 16/07/2024 को आयोजित अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) सीमा शुल्क को मेसर्स ग्लोबल डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया था ताकि उसके स्वीकृति पत्र (LOA) को रद्द करने की तिथि तक स्टॉक में मौजूद सामग्रियों पर लागू शुल्क की प्राप्ति की जा सके। इसके अलावा, उनके पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मेसर्स रॉयल एक्सपोर्ट्स ने मेसर्स ग्लोबल डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड से खरीदे गए हीरों के लिए पूरी तरह से भुगतान नहीं किया था। इसके अलावा, उन्होंने दोनों इकाइयों को सामग्री पर लागू शुल्क की वसूली के लिए एक पत्र जारी किया था।

4.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, प्रस्तावित अधिकृत संचालन/उत्पादन क्षमता के लिए पांच साल के पांचवें ब्लॉक की शेष अवधि यानी 31/03/2025 तक मेसर्स रॉयल एक्सपोर्ट्स के स्वीकृति पत्र (LOA) की वैधता को नवीनीकृत करने का निर्णय लिया। अनुमोदन समिति ने नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) सीमा शुल्क को दोनों इकाइयों को अनुस्मारक जारी करने और विकासक, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) के कार्यालय को सामग्री पर लागू शुल्क की वसूली की स्थिति के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया।

(5) बीई गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड - उत्पादन क्षमता के अद्यतन और प्रदर्शन की निगरानी के लिए दी गई अनुमति का अनुसमर्थन।

5.1 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खुद को प्रस्तुत करने का अवसर दिए जाने के बावजूद इकाई से कोई भी व्यक्ति बैठक में उपस्थित नहीं हुआ। अनुमोदन समिति ने संथापकों की गैर-उपस्थिति पर गंभीरता से विचार किया, भले ही वर्चुअल मोड का विकल्प उपलब्ध था। अनुमोदन समिति ने आगे पाया कि इकाई ने 2023-24 और 2024-25 (अक्टूबर 2024 तक) के दौरान कोई निर्यात नहीं किया था।

सुरेंद्र मलिक

5.2 अनुमोदन समिति ने विचार-विमर्श के बाद उत्पादन क्षमता के अद्यतनीकरण के लिए दी गई अनुमति की पुष्टि की। अनुमोदन समिति ने मामले को निष्पादन की निगरानी के लिए स्थगित कर दिया और पिछले दो वर्षों के दौरान शून्य निर्यात के कारणों को प्रस्तुत करने के लिए इकाई को एक पत्र भेजने का निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने इकाई को अगली बैठक में अपने संथापकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।

(6) एपीके आइडेंटिफिकेशन - स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करना।

6.1 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री राजीव सिंह और श्री रमाशंकर शर्मा अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। श्री सिंह ने बताया कि उनका अपने उत्पादों को बेचने के लिए ऑस्ट्रिया स्थित सेमीकंडक्टर कंपनी एनएक्सपी सेमीकंडक्टर्स के साथ समझौता है। उन्होंने आगे बताया कि उक्त कंपनी की ताइवान, हांगकांग और ऑस्ट्रिया में विनिर्माण सुविधाएं हैं। अब, वे शुरू में एनएक्सपी और इसके वितरकों से सीधे सेमीकंडक्टर सामान खरीदेंगे और उन्हें निर्यात करेंगे और साथ ही अन्य एसईजेड इकाइयों और ईओयू को आपूर्ति करेंगे।

6.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत संचालन के रूप में *"**सेमीकंडक्टर (आईसी/चिप/मॉड्यूल)** (85423200, 85423100, 85423300, 85423900, 85429000) **की व्यापार**"* को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह इकाई द्वारा कंपनी यानी 'एनएक्सपी सेमीकंडक्टर्स' से समझौते की प्रति या पत्र प्रस्तुत करने के अधीन होगा। अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

(i) किसी अन्य देश को भौतिक निर्यात के लिए, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) या अन्य एसईजेड या ईओयू में अन्य इकाइयों को आपूर्ति के लिए, एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 2(जेड) के अनुसार मुक्त विदेशी मुद्रा के विरुद्ध व्यापार की अनुमति होगी।

(ii) व्यापारिक वस्तुओं के लिए कोई डीटीए मंजूरी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii) इकाई विनिर्माण और व्यापारिक गतिविधियों के लिए अलग-अलग क्षेत्र निर्धारित करेगी और विनिर्माण और व्यापारिक गतिविधियों के लिए एनएफई के अलग-अलग रिकॉर्ड/खाते बनाए रखेगी।

(iv) विनिर्माण गतिविधि और व्यापारिक गतिविधि के लिए एनएफई स्थिति की गणना अलग-अलग की जाएगी।

(7) अपोडिक्टिक रिसर्च एलएलपी - सेवा चालान का समर्थन।

7.1 श्री चिन्मय रीगल, भागीदार और श्री दीपक खन्ना, इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि उसके निर्देशों के अनुसार सीमा शुल्क और परियोजना अनुभाग के अधिकारियों की एक समिति ने मौजूदा बुनियादी ढांचे और कर्मियों का निरीक्षण करने के लिए 22/10/2024 को इकाई के परिसर का दौरा किया। साइट निरीक्षण रिपोर्ट से, अनुमोदन समिति ने पाया कि नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में

सुरेंद्र मलिक

इकाई द्वारा कोई पर्याप्त निवेश या रोजगार नहीं किया गया था। इसके अलावा, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में परिसर से कोई भी गतिविधि नहीं की जा रही थी। अनुमोदन समिति ने यह भी देखा कि इकाई ने उन गतिविधियों के बारे में उल्लेख नहीं किया है जो वास्तव में नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) परिसर से की जा रही हैं।

7.2 श्री रीगल ने बताया कि वर्तमान में इकाई चालू नहीं है और इसलिए कोई कर्मचारी नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि चालान वर्ष 2021 के हैं जब वे काम कर रहे थे।

7.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद इकाई को निम्नलिखित प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ मामले को स्थगित कर दिया:

(i) नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) इकाइयों और डीटीए इकाई के कर्मचारियों के सीवी/रिज्यूमे की प्रति, जो उनकी नियुक्ति/ज्वाइनिंग लेटर के साथ विधिवत समर्थित हो।

(ii) उनके अंतिम ग्राहकों को प्रदान की गई सेवाओं का विवरण और डीटीए इकाई से प्राप्त इनपुट सेवा का सटीक विवरण।

(iii) वर्ष 2023-24 के लिए एपीआर में दिखाए गए अनुसार 194.61 लाख रुपये (स्वदेशी: 191.33 लाख + आयातित: 3.28 लाख) मूल्य के प्लांट और मशीनरी में किए गए निवेश का दस्तावेजी प्रमाण।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

सुरेंद्र मलिक
(सुरेंद्र मलिक)
संयुक्त विकास आयुक्त

अ बिपिन मेनन
(ए. बिपिन मेनन)
विकास आयुक्त